

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 174 / 14

संस्थापन दिनांक:-20 / 03 / 14

फाईलिंग नं. 233504001522014

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

शहीद पिता करीम खान  
 उम्र 33 वर्ष, निवासी पीरमंजिल आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 19.11.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने 21.02.2014 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी निलोफर को धारदार पट्टीनुमा सलाख से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 21.02.2014 को शाम करीब 4 बजे उसके घर के सामने थी तभी अभियुक्त/उसके देवर ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना किया गया और कहा कि होटल में सभी का हिस्सा है और उन्हें भी उसमें हिस्सा चाहिए तो इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे लोहे की किसी सलाख से बांधे हाथ की कलाई और कोहनी के बीच में मारा जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 167/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे सलाखनुमा पट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.02.2014 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी निलोफर को धारदार पट्टीनुमा सलाख से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 निलोफर (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना वर्ष 2014 की शाम 4 बजे की है। घटना के समय वह घर पर थी तभी अभियुक्त घरेलू बात पर से उससे विवाद करने लगा और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे मारने की कोशिश की जिससे उसे धक्का लगा और वह गिर गयी और उसे हाथ में किसी चीज से कट लग गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि धक्का लगने से उसके सिर में भी चोट आयी थी और अभियुक्त ने उसे मारने की धमकी भी दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री-3) का मौका नक्शा तैयार किया था।

7 शकील (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय वह किसी काम से घर से बाहर गया था जब वह घर आया था तो उसे उसकी पत्नी ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ घरेलू बात पर से गाली गलौच की थी और मारने पीटने की धमकी दी थी और उसे धक्का दिया था जिससे वह गिर गयी थी और उसके हाथ एवं सिर में चोट आयी थी। साक्षी द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि जब वह घर आया तो उसे उसकी पत्नी ने बताया था कि अभियुक्त ने उसे लोहे की सलाख टाईप धारदार चीज से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ वाद विवाद और गाली गलौच कर धक्का मुक्की की जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा धारदार पट्टीनुमा सलाख से आहत/फरियादी को चोट

पहुँचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी निलोफर को धारदार पट्टीनुमा सलाख से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त शहीद खान को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की पट्टीनुमा सलाख अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)